भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चि KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फा.सं.II/39/14/2018 -रा.भा. तारीख/Date: 16.08.2021

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य,
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय,
कोच्चि, कोचिन-18

All the members of the O L I C,
Central Tax & Central Excise
Commissionerate, Kochi, Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.08.2021 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 10.08.2021.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.08.2021 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

Please find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi-18 held on 10.08.2021. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,
अन्वर अली
16/8/2021
(अन्वर अली / ANWAR ALI)
अपर आयुक्त(का.व सत.)/ADDL. COMMISSIONER(P&V)

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
   The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
   The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.
3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय
   P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
   All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.08.2021 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 10.08.2021

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 10.08.2021 को अपराह्न 03.00 बजे केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में सहायक आयुक्त (का. व सत.) और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के साथ आयोजित की गई। मुख्यालय के अनुभाग प्रमुख और अपर /संयुक्त /सहायक आयुक्तों और मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्तों ने गूगल मीट - ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया | बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया ।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened with the Assistant Commissioner (P& V) and Sr. Translation Officer in Hqrs. office on 10.08.2021 at 03.00 pm under the Chairmanship of Shri Maneesh Kumar, Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Commissioner's chamber. Additional/Joint Commissioners in Headquarters, Deputy/Assistant Commissioners in charge of sections in Headquarters and divisional offices attended the meeting through Google Meet – Online. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती) Name of the Officer(S/Shri/Smt)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	अन्वर अली Anwar Ali	अपर आयुक्त[का.व सत.] Addl. Commissioner[P&V]	मुख्यालय Hqrs.

2	एस. वीरमुतु S.Veermuthu	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
3	एस.सुरेश S.Suresh	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	(का.व सत.)/ (P&V)
4	महेंद्रवर्मा रा Mahendravarmaa Ra	उप आयुक्त Deputy Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Division
5	अनिल राज आर. Anil Raj R.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	एर्णाकुलम मंडल Ernakulam Division
6	रॉय वर्गीस Roy Varghese	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	इडुक्की मंडल Idukki Division
7	एन. एस. जयश्री N.S.Jayashree	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	पेरुम्बावूर मंडल Perumbavoor Division
8	अजिता पी Ajitha P.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	आलुवा मंडल Aluva Division
9	मनोज कुमार एन. Manoj Kumar N.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	त्रिश्शूर व चालक्कुडी मंडल Thrissur & Chalakkudy Division
10	बीना आर. Beena R.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	तक., विधिक, सूचना अधिकार व प्रशिक्षण/Technical, Legal, RTI & Training
11	सी.टी. बिंदु C.T. Bindu	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्याय.नि. सांख्यिकी,ई डी पी, संसद प्रश्न व जी एस टी कक्ष, ब.वसूली,एसवीएलडीआरएस Adjn., Statistics, EDP, Parliament Questions & GST Cell, Arrear Recovery, Review & SVLDRS
12	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी Senior Translation Officer	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।
The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है । Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं। पिछली तिमाही में 13 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए ।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the previous quarter 13 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, राजभाषा अनुभाग

Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, OL Section

b. विभागीय पत्रिका [ई-पत्रिका] "कैरली" का प्रकाशन /Publication of departmental magazine [e-magazine]"Kairali :-

समिति को सूचित किया गया कि पिछली तिमाही में दिनांक 17.06.2021 को आयुक्तालय की ई - पत्रिका "ई - कैरली" ऑनलाइन माध्यम से प्रकाशित की गई थी |

The Committee was informed that Commissionerate's e-magazine e-kairali was released in the previous quarter on 17.06.2021.

c. नव नियुक्त अधिकारीयों के लिए हिंदी कार्यशाला / Hindi workshop for all newly recruited officers :-

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 23.04.2021 को सभी नव नियुक्त अधिकारियों के लिए ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला चलाई गई थी | कार्यशाला में 52 अधिकारी भाग लिए थे |

The Committee was informed that an online Hindi workshop was conducted for all newly appointed officers on 23.04.2021. 52 officers participated in the workshop.

d. आयुक्तालय का नाम पट्ट त्रिभाषी रूप में / Commissionerate's name board in Tri-lingual form :-

समिति को सूचित किया गया कि आयुक्तालय का नया त्रिभाषी नाम पट्ट को केंद्रीय राजस्व भवन के सामने रखा गया है |

The Committee was informed that Commissionerate's new trilingual board is kept in front of the Central Revenue building.

e. ई -ऑफिस में उपलब्ध क्विक नोट्स /Quick notes available in e-office :-

समिति को सूचित किया गया कि ई-ऑफिस के क्विक नोट्स में हिंदी के साथ-साथ द्विभाषी तैयार किए गए नोट भी होते हैं जिनका उपयोग द्विभाषी टिप्पण लेखन के लिए किया जा सकता है। उन टिप्पणियों के अलावा हम अपने आयुक्तालय में अधिकारियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले टिप्पणियों को भी उपयोगकरता परिभाषित टिपण्णी विकल्प (यूजर डिफाइंड नोट्स ऑप्शन) में डाल सकते हैं । अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि एनआईसी(NIC) को पत्र भेजकर कहा जाए कि हमारे आयुक्तालय में अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली टिप्पणियों को भी क्विक नोट्स में शामिल किया जाए।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उपयोगकर्ता परिभाषित(यूजर डिफाइंड) अतिरिक्त टिप्पणियां सहित सभी उपलब्ध टिप्पणियों की सूची सहित क्विक नोट्स के उपयोग संबंधित एक परिपत्र आयुक्तालय के सभी अधिकारियों में परिचालित किया जाएं |

The Committee was informed that quick notes of e-office contain Hindi as well as bilingual ready made notes which can be utilized for bilingual noting. In addition to those notes we can also put the notes used frequently by the officers in our Commissionerate in the user defined notes option. The Chairman directed that a letter may be sent to NIC asking to include such notes used by the officers in our Commissionerate also in the quick notes. He also directed that a circular explaining the use of quick notes along with a list of all the available notes and additional user defined notes may be issued and circulated among all the officers in the Commissionerate.

II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / **Review of the quarterly report :-**

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई । वे इस प्रकार है:-

पिछली तिमाही (2021 जनवरी,फरवरी,मार्च) में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 49.7%

वर्तमान तिमाही (2021 अप्रैल मई जून) में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 39.7%

यथाक्रम दिनांक 31.03.2021, 30.06.2021 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क - 46.6%-56%,ख- शून्य पत्राचार, ग - 47.3%- 44.5% ।

The Committee was informed percentage of Hindi noting and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

Percentage of Hindi noting in previous quarter(January, February, March) – 49.7%

Percentage of Hindi noting in current quarter(April, May, June) – 39.7%

A-46.6%-56%,B-Nil correspondence C-47.3%-44.5% for the quarters ending on 31.03.2021,30.06.2021 respectively.

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि ई ऑफिस में उपलब्ध हिंदी टिप्पणियों का उपयोग करें | अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मुख्य आयुक्त कार्यालय जैसे उच्च कार्यालयों को जाने वाली रिपोर्ट जैसे नेमी पत्रों को द्विभाषी रूप में भेजा जाएं ताकि हिंदी पत्राचार बढाया जाएं |

The Chairman directed to make use of the Hindi notes available in e-office. The Chairman directed to send routine letters like reports to higher offices like CCO may be sent in bilingual form so that Hindi correspondence may be increased.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

III विविध/**Miscellaneous :-**

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

a. **वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 पर चर्चा / Discussion on Annual Programme 2021-22**

राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा कार्यान्वयन सम्बंधित वार्षिक कार्यक्रम(सार) 2021-22 सभी सदस्यों को दिया गया एवं उसपर विस्तार से चर्चा की गई |

The Annual programme(gist)2021-22 issued by the Dept. Of OL was distributed among all members and it was discussed in detail.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

b. **क्षेत्र 'क' व 'ग' को भेजने वाले सभी अनुभागों के पत्रों का द्विभाषीकरण /Bilingualisation of all routine letters sent from all sections to Region A& C**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने सुझाव दिया कि हिंदी पत्राचार बढाने हेतु क्षेत्र 'क' व 'ग' को भेजने वाले सभी अनुभागों के पत्रों का द्विभाषीकरण हिंदी अनुभाग की सहायता से किया जाएं | अध्यक्ष ने राय दी कि यह एक अच्छा सुझाव है और इसका पालन सभी अनुभागों और मंडलों द्वारा किया जा सकता है ।

Sr. Translation Officer suggested that in order to increase the Hindi correspondence bilingualisation of all routine letters sent from all sections to Region A& C may be done with the help of Hindi section. The Chairman opined that it is a good suggestion and may be followed by all sections and divisions.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/ मंडल Action: All Sections/Divisions

c. **वर्दी की द्विभाषी बैज- संसदीय राजभाषा समिति को दिया गया आश्वासन / Bilingual badges on Uniforms – Assurance to Parliamentary Committee on OL. Badges on Uniforms**

समिति को सूचित किया गया कि जन संपर्क अधिकारी इकाई में द्विभाषी बैज की कमी है और नव

नियुक्त और नए पदोन्नत अधिकारियां इसे खरीद नहीं सका । यह संसदीय राजभाषा समिति को दिया गया आश्वासन भी है । अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि वर्दी पर लगाने वाले बैज द्विभाषी रूप में कराए जाएं और जन संपर्क अधिकारी इकाई में रखे जाएं ताकि इसकी आपूर्ति नव नियुक्त और नव पदोन्नत अधिकारियों को की जा सके।

The Committee was informed that there is shortage of bilingual badges in PRO unit and newly appointed and newly promoted officers couldn't purchase it. It is also an assurance to the Parliamentary Committee on OL. The Chairman directed that badges on the uniforms may be made in bilingual form and kept in the PRO unit so that it can be supplied to the newly appointed and newly promoted officers.

कार्रवाई: जन संपर्क अधिकारी इकाई / Action: PRO unit

d. हिंदी पखवाडा समारोह | / Hindi fortnight celebrations.

समिति को सूचित किया गया कि सितंबर माह में लेखा परीक्षा आयुक्तालय के साथ हमेशा की तरह संयुक्त रूप से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। | प्रतियोगिताएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि हिंदी पखवाड़े का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके फाइल में प्रस्तुत किया जाए।

The Committee was informed that Hindi fortnight will be celebrated jointly as usual with Audit Commissionerate in the month of September. Competitions will be conducted online. The Chairman directed that a detailed programme for the Hindi fortnight may be prepared and put up in file.

कार्रवाई:राजभाषा हिंदी अनुभाग / Action: OL Hindi Section

e. निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा निरीक्षण /OL Inspection by DGPM, New Delhi:-

समिति को सूचित किया गया कि अक्टूबर, 2021 में निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, (डीजीपीएम) नई दिल्ली द्वारा आयुक्तालय का राजभाषा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची सभी सदस्यों के बीच वितरित की गई और इस पर विस्तार से चर्चा की गई।

The Committee was informed that there will be an OL inspection of the Commissionerate by DGPM, New Delhi in October, 2021. The list of documents required for the Inspection was distributed among all members and it was discussed in detail.

कार्रवाई:सभी अनुभाग Action: All Sections

4. अधिकारियों /सदस्यों का सुझाव |/ Suggestions from Officers/ Members:-

a.अपर आयुक्त महोदय ने सुझाव दिया कि ई-ऑफिस में उपलब्ध क्विक नोट्स का प्रयोग करके हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता को बढाया जा सकता है |

Additional Commissioner suggested that Hindi noting percentage may be increased by using quick notes available in e-office.

सदस्यों से और कोई सुझाव न मिलने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराह्न 4.00 बजे समाप्त हुई ।

As no other suggestion came from the members the meeting ended at 4.00 pm with vote of thanks to the Chair.

(अन्वर अली / ANWAR ALI)

अपर आयुक्त(का.व सत.)/ ADDL. COMMISSIONER(P&V)